तारीख
हुक्म

16/04/25 पत्रावली पेश हुई। वादिनी वकील उपस्थित। वादिनी स्वयं उपस्थित। वादिनी वकील ने प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली पेशी पर लेने वक्त पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। वादिनी वकील के निवेदन पर पत्रावली पेशी पर ली गई। वादिनी वकील ने प्रार्थना पत्र वास्ते वाद विंद्रो करने वक्त पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। वकील ने निवेदन किया कि उक्त अनवान के प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण के बीच में गांव के मौजिज लोगों ने रजीनामा करवा दिया है। उक्त वाद हम आगे नहीं चलाना चाहते है। उक्त अनवान के प्रकरण को उसी स्वर पर विंद्रो करना चाहते है। अतः निवेदन है कि उक्त अनवान के प्रकरण को विंद्रो करने का आदेश फरमावें। वादी वकील का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य है। अतः वादी के वाद की कार्यवाही उसी स्वर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

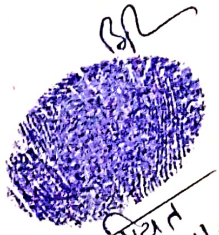

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:57:24 IST
Reason: SelfAttested